फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री एडवोकेट कैलाश चन्द्र बोल्या, चेम्बर नं. 17, न्यायालय परिसर, राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 86/2022

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 13.02.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये क्रमांक एफ.1 ( ) सू0अ0,05/2022/944–946 दिनांक 12.12.2022 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलाण्ट का आवेदन पत्र दिनांक 29.09.2022 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 30.09.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना कार्यालय के राजस्व अनुभाग से संबंधित होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को पत्रांक 828 दिनांक 07.10.2022 को पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 2992 दिनांक 14.11.2022 से अवगत कराया कि आवेदन पत्र में वांछित सूचना राजस्व अनुभाग में तलाश करने पर वांछित अभिलेख प्राप्त नही हुए है, उधोग संबंधी पत्रावली जिला उधोग केन्द्र से संधारित होने से आवेदक चाहे तो संबंधित विभाग से सूचना प्राप्त की जा सकती हैं। आरटीआई आवेदन से जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध इस कार्यालय से नही होकर महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र जिला राजसमन्द की होने के कारण इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 941, दिनांक 18.11.22 से संबंधित कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र जिला राजसमन्द को अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को प्रति पृष्ठाकिंत की जाकर जरिये डाक प्रेषित की गयी। प्रार्थी के आरटीआई आवेदन से चाही गई सूचना इस कार्यालय की नही होकर महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र जिला राजसमन्द की होने से समायावधी में अन्तरण की जाकर प्रार्थी को सूचित किया गया। जिसके संबंध में महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र जिला राजसमन्द की रिपोर्ट पत्र क्रमांक एफ.1 ( ) सामान्य/23–24/1756 दिनांक 05.02.2024 से प्राप्त रिपोर्टानुसार	

	के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के सबंध में पत्रावली गुमशुदान होने से गुमशुदगी रिपोर्ट थानाधिकारी राजनगर राजसमन्द में की गई। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द एवं महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र जिला राजसमन्द की रिपोर्ट तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के आधार पर वांछित सूचना से संबंधित पत्रावली महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र जिला राजसमन्द की होने से अंतरण की गई। महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र जिला राजसमन्द की रिपोर्ट पत्र क्रमांक एफ.1 ( ) सामान्य/23–24/1756 दिनांक 05.02.2024 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के सबंध में पत्रावली गुमशुदान होने से थानाधिकारी राजनगर राजसमन्द के गुमशुदगी रजिस्टर के क्रमांक 107/2023 दिनांक 22.08.2023 दर्ज होने से इस न्यायालय स्तर पर आगे कोई नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित नही हैं। अतः उक्त प्रकरण निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द तथा महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र जिला राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** Bullo **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद** न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)	